राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 4 एम.एल.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 013/2017

1. बलकारसिंह पुत्र लक्षमणसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.पी.एस. सलेमपुरा तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता — वादी
2. पैराकार राज

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 11.05.2017**

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 5 छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/05 मुरब्बा नम्बर 25, 46 की कुल 4.807 हैक्टर में से 3.288 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है। इसके अलावा चक हाजा के खातासंख्या 73/74 मुरब्बा नम्बर 53 की 3.113 हैक्टर मेंसे 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

वादी का सही नाम बलकारसिंह है उसके नाम से इसी चक 5 सी छोटी के खाता संख्या 51/52 मुरब्बा नम्बर 55 की 3.162 हैक्टर में भी 1/4 हिस्सा दर्ज है जमबान्दी की नकल शामिल है। क्योंकि उसके घर पर प्यार से लालसिंह भी पुकारा जाता था। इस कारण वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि उसके नाम दर्ज करवाते समय बलकारसिंह के स्थान पर उसका नाम लालसिंह दर्ज हो गया जबकि उसके पिता लक्ष्मणसिंह के लालसिंह नाम का अन्य कोई पुत्र नहीं हुआ बल्कि वादी बलकारसिंह को ही प्यार से घर पर लालसिंह कहनें के कारण उसका नाम लालसिंह सहवन से दर्ज हो गया अतः वादी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित अराजी को अपनी खातेदारी घोषित करवानें तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर लालसिंह के स्थान पर बलकारसिंह दर्ज करवानें का अधिकारी है।

वादी का आधार कार्ड नम्बर 7836 6467 2418 बना हुआ है जिस पर वादी की फोटो व अंगुठे निशान मौजूद है तथा पहचान पत्र संख्या आर जे/02/011/0738004 बना हुआ है जिस पर भी उसकी फोटो चस्पा है तथा पैन कार्ड नम्बर DVJPS0256K बना हुआ है। जिस पर भी उसकी फोटो चस्पा है तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र संख्या 22/10.02.2006 उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ से जारी किया हुआ है, जिस पर भी उसकी

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

फोटो चस्पा है तथा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से दिनांक 5928/17.02.1986 जारी किया हुआ है जिस पर फोटो चस्पा है। तथा ड्राइविंग लाईसेन्स सख्या आर.जे. 13/डी एल सी/12/171244 भी जारी किया हुआ है, जिस पर भी उसकी फोटो चस्पा है तथा पासबुक चक 4 एस.पी.एम. की कृषि भूमि जारी की हुई है, जिस पर भी फोटो चस्पा है तथा आर्म्स लाईसेन्स भी जारी किया हुआ है जिस पर भी फोटो चस्पा है तथा सरपंच ग्राम पंचायत 4 एस.पी.एम. सलेमपुरा से प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, जिसमें वादी का नाम बलकारसिंह दर्ज करते हुए फोटो को भी तस्दीक किया गया है तथा दिनांक 26.08.2016 को भी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत से जारी किया हुआ है व फोटो चस्पा है तथा तस्दीक की हुई है निकी नकले शामील है। जिससे यह स्पष्ट है, कि वास्तव में वादी का नाम बलकारसिंह है इस प्रकार वादी वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवानें तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर लालसिंह के स्थान पर बलकारसिंह दर्ज करवानें का अधिकारी है।

वादी नें प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि का खातेदार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुए लालसिंह के स्थान पर बलकारसिंह दर्ज करें मगर प्रतिवादी टाल मटोल करते हए दिनांक 23.01.2017 को इन्कार करते हुए स्पष्ट कहा गया कि यह अधिकार क्षैत्र उपखण्ड अधिकारी का है तथा बिना उनके आदेश के दुरूस्ती नहीं की जा सकती। इसी कारण दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 5 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/05 मुरब्बा नम्बर 25, 46 की कुल 4.807 हैक्टर में से 3.288 में से 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 73/74 मुरब्बा नम्बर 53 की 3.113 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। को वादी की खातेदारी घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर लालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के स्थान पर बलकारसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। पैरोकार राज द्वारा जबाब पेश कर कथन किया कि वादी बलकारसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.पी.एम. सलेमपुरा तहसील अनुपगढ़ का निवासी है अपना नाम लालसिंह की बजाय बलकारसिंह करवाना चाहता है अतः तहसीलदार अनुपगढ़ से रिपोर्ट ली जानी उचित है।

वाद पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार अनुपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एस.पी.एम. बलकारसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.पी.एम. सलेमपुरा के नाम से चक 20 एस.जे.एम. में पत्थर नम्बर 292/374 किला नम्बर 1 ता 10 का 2.454 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त रकबा बलकारसिंह स्वयं काश्त कर रहा है। व बलकासिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह स्थाई तौर से चक एस.पी.एम. सलेमपुरा में निवास करता है। व इसी नाम से जाना जाता है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के अधिवक्ता को सुना गया वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया वाद पत्र को शपथ पत्र के तथ्यों के रूप में पढ़ा जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कर धारा 88 के अन्तर्गत चक 5 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/05 मुरब्बा नम्बर 25, 46 की कुल 4.807 हैक्टर में से 3.288 में से 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 73/74 मुरब्बा नम्बर 53 की 3.113 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। को वादी बलकारसिंह पुत्र लक्षमणसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.पी.एम. सलेमपुरा तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि मे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर लालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के स्थान पर बलकारसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.पी.एस. सलेमपुरा तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर दर्ज करनें का आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर